



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08012026-269198
CG-MH-E-08012026-269198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 95]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 5 जनवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(ई) के तहत

का.आ. 105(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 25 जुलाई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3444 (अ) तारीख 23 जुलाई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वर्धा-नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद) नये ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20- क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् 'दै. जनसंग्राम' और 'दै. लोकदूत' में तारीख 5 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहीत हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में नागरी सेक्शन के अंतर्गत का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प यवतमाल, के अधीन विशेष रेल परियोजना वर्धा-नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद) नये ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धती	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	1/47/2024-25	साबरा	दिप्रस	नितुसिंग बद्रिसिंग नाईक	8 पै	1	2.44	0.13
2				चंदनलाल प्रभुलाल जैस्वाल	9 पै	1	4.00	0.05
3				स्वाती चंदनलाल जैस्वाल	9 पै	1	1.50	
4				विजय वसराम चव्हाण	58	1	1.93	0.07
कुल							9.87 (हे.आर.)	0.25 (हे.आर.)
1	12/47/2024-25	ज्योतीनगर	पुसद	बिरबल सकरु जाधव	50 पै	1	1.22	0.170
2				वालीबाई फुलसिंग राठोड, मेरसिंग फुलसिंग राठोड, मंदाबाई कसनदास चव्हाण, संजय फुलसिंग राठोड	52 पै	1	3.92	0.530
कुल							5.14 (हे.आर.)	0.700 (हे.आर.)

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	13/47/2024-25	जवाहर नगर	मुसद	नरसिंग बक्शी राठोड, कृष्णा बक्शी राठोड, सुभाष बक्शी राठोड, प्रविण नामदेव राठोड, सविता नामदेव राठोड, निरुपमा शंकर आडे, किरण विजय चव्हाण, मालती अजय चव्हाण, अनिता अजय चव्हाण, स्मिता महादेव आडे, आरती शैलेश पवार, केशव नामदेव राठोड, शशिकला मनोज राठोड, कमलाबाई सुभाष राठोड, रोहीदास उत्तम जाधव, दिलीप उत्तम जाधव, वैशाली अजय राठोड, बालीबाई मेरसिंग राठोड, विमलबाई रोहीदास पवार, सुलाबाई रमेश पवार, मनोज मेरसिंग राठोड, संजय मेरसिंग राठोड	1/2	1	2.47	0.2257
2				शांती बलदेवसिंग राठोड	1/3/अ	2	1.21	
3				विठ्ठल मोतीराम राठोड, अनिल मोतीराम राठोड, फुलसिंग रामु राठोड, नथ्यु रामु राठोड, धनु रामु राठोड, गुजी ज. रेखा चव्हाण, बाली ज. गोविंदा, धर्मि ज. पापा पवार, गोपी ज. नारायण, प्रेमसिंग मोतीराम राठोड, नाजीबाई मोतीराम राठोड, शांतीबाई भिमराव पवार, रंजना संतोष आडे, महेश दलपत राठोड, छाया दलपत राठोड, मालाबाई नितीन वडते, नीता विकास आडे, जय दलपत राठोड, राम दलपत राठोड, रोहित दलपत राठोड	1/1	1	3.59	0.1728
4				लालसिंग सिताराम चव्हाण (स्मशानभूमी करीता राखीव)	33/3	1	1.56	0.1589
5				धरमसिंग रघुविरसिंग दिक्षीत	10/1 पै	1	2.03	0.1470

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धती	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
कुल							10.86 (हे.आर.)	0.7044 (हे.आर.)
1	15/47/2025-26	पळशी	उमरखेड	जयवंतराव शामराव कदम	56/1	1	0.39	0.04
					56/2	1	1.01	
2				वसंतराव शामराव कदम	56/1/अ	1	0.93	0.02
					56/2/अ	1	1.01	
3				स्वराज किशोर कदम	58/3	1	0.40	0.230
4				गणेशराव लक्ष्मण कदम	58/1	1	2.92	0.15
कुल							6.66 (हे.आर.)	0.44 (हे.आर.)
कुल योग							32.53 (हे.आर.)	2.09 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/WR -Nanded/Jyotinagar+3 VlgS/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 105(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number. S.O 3444 (A) dated 23th July 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, PartII, section 3, Sub-section (ii) dated the 25th July 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Wardha Yavatmal Nanded New BG Railway Line**” in the district of Yavatmal in the state of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Lokdut ” And “Jan Sangram ” Dated 5th November 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government Free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project "Wardha Yavatmal Nanded New Railway Line" in Dist-Yavatmal Nagri Section under Dy. Collector (Land Acquisition), Road Project Yavatmal the district Yavatmal in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	Name of landholder as per 7/12	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Land acquire d area (Ha.)
1	1/47/2024-25	Sakhara	Digras	Nitusing Badrising Naik	8 Paiki	1	2.44	0.13
2				Chandanlal Prabhulal Jaiswal	9 Paiki	1	4.00	0.05
3				Swati Chandanlal Jaiswal	9 Paiki	1	1.50	
4				Vijay Vasram Chavhan	58	1	1.93	0.07
Total							9.87 (Ha.)	0.25 (Ha.)
1	12/47/2024-25	Jyotinagar	Pusad	Birbal Sakru Jadhav	50 paiki	1	1.22	0.170
2				Walibai Fulsingh Rathod, Mersingh Fulsingh Rathod, Mandabai Kasandas Chavhan, Sanjay Fulsingh Rathod	52 paiki	1	3.92	0.530
Total							5.14 (Ha.)	0.700 (Ha.)
1	13/47/2024-25	Jawaharnagar	Pusad	Narsingh Bakshi Rathod, Krushna Bakshi Rathod, Subhash Bakshi Rathod, Pravin Namdev Rathod, Savita Namdev Rathod, Nirupama Shankar Ade, Kiran Vijay Chavhan, Malati Ajay Chavhan, Anita Ajay Chavhan, Smita Mahadev Ade, Aarti Shailesh Pawar, Keshav Namdev Rathod, Sashikala Manoj Rathod, Kamalabai Subhash Rathod, Rohidas Uttam Jadhav, Dilip Uttam Jadhav, Vaishali Ajay Rathod, Balibai Mersingh Rathod, Vimalbai Rohidas Pawar, Sulabai Ramesh Pawar, Manoj Mersingh Rathod, Sanjay Mersingh Rathod	½	1	2.47	0.2257
2				Shanti Baldevsingh Rathod	1/3/A	2	1.21	
3				Vitthal Motiram Rathod, Anil Motiram Rathod, Fulsingh Ramu Rathod, Natthu Ramu Rathod, Dhanu Ramu Rathod, Guji J. Rekha Chavhan, Bali j. Govinda, Dharmi J. Papa Pawar, Gopi J. Narayan, Premsingh Motiram Rathod, Najibai Motiram Rathod, Shantibai Bhimrao Pawar, Ranjana Santosh Ade, Mahesh Dalpat Rathod, Chaya Dalpat Rathod, Malabai Nitin Wadte, Nita Vikas Ade, Jai Dalpat Rathod, Ram Dalpat Rathod, Rohit Dalpat Rathod	1/1	1	3.59	0.1728

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	Name of landholder as per 7/12	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Land acquire d area (Ha.)
4				Lalsingh Sitaram Chavhan (Reserved for burial ground)	33/3	1	1.56	0.1589
5				Dharamsingh Raghuvirsingh Dixit	10/1 paiki	1	2.03	0.1470
Total							10.86 (Ha.)	0.7044 (Ha.)
1	15/47/2025-26	Palashi	Umarkhed	Jaywantrao Shamrao Kadam	56/1	1	0.39	0.04
					56/2	1	1.01	
2				Vasantrao Shamrao Kadam	56/1/A	1	0.93	0.02
					56/2/A	1	1.01	
3				Swaraj Kishor Kadam	58/3	1	0.40	0.230
4				Ganeshrao Laxman Kadam	58/1	1	2.92	0.15
Total							6.66 (Ha.)	0.44 (Ha.)
Grand Total							32.53 (Ha.)	2.09 (Ha.)

[F. No. G197/WR -Nanded/Jyotinagar+3 VlgS/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)